रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 31] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 1975/माघ 17, 1896

No. 31] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 1975/MAGHA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 6th February 1975

No. DRAWBACK/PN-21/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For Sub-Serial No. 2628 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3
2628	Cotton fabrics falling under item No. 19-1 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 and manufactured on power looms.	
	(i) of 84 or more counts of yarn content.	Rs. 7·21 (Rupees seven and paise twenty one only) per kg.
	(ii) of 69 or more counts but less than 84 counts of yarn content.	Rs. 6·83 (Rupees six and paise eighty three only) per kg.

1	2	3
	(iii) of 51 or more counts but less than 69 counts of yarn content.	Rs. 5·25 (Rupees five and paise twenty five only) per kg.
	(iv) of 40 or more counts but less than 51 counts of yarn content.	Rs. 3·88 (Rupees three and paise eighty eight only) per kg.
	(v) of 34 or more counts but less than 40 counts of yarn content.	Rs. 2·16 (Rupees two and paise sixteen only) per kg.
	(vi) of 29 or more counts but less than 34 counts of yarn content.	Rs. 1·18 (Rupee one and paise eighteen only) per kg.
	(vii) of 22 or more counts but less than 29 counts of yarn content.	Re. 0·64 (Sixty four paise only) per kg.
	(viii) of 14 or more counts but less than 22 counts of yarn content.	Re. 0·21 (Twenty one paise only) per kg.
	(ix) of less than 14 counts of yarn content.	Re. 0·10 (Ten paise only) per kg.

Provided that :—

(i) where the fabric contains 2 or more yarns of different counts and or falling under different count groups mentioned above, the drawback shall be allowed on the basis of the weight of each category of yarn at the rate applicable to the counts groups aforesaid.

(ii) the count of yarn shall be size of grey unsized yarn expressed as the number of 1000 metres hanks per one half kg.

(iii) the manufacturer/exporter declares in the shipping bill that central excise duty on yarn used in the manufacture of cotton fabrics has been paid.

This public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1975

सं० प्रतिअदायगी-पी० एन०-21/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 2628 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3
2628	केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19-I के अन्तर्गत आने वाले सूती वस्त्र जो विद्युत करघों पर निर्मित किये गये हों ।	
	(i) 84 अथवा इससे अधिक काउंट की धागा अन्तर्वस्तु के	7.21 रु० (केवल सात रुपये इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

1	2	3
(ii)	69 अथवा इससे अधिक परन्तु 84 से कम सूत्रांक की धागा अन्तर्वस्तु के	6.83 रु० (केवल छः रुपये तिरासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(iii)	51 अथवा उससे अधिक परन्तु 69 से कम सूत्रांक की धागा अन्तर्वस्तु के	5.25 रु० (केवल पांच रुपये पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(iv)	40 अथवा उससे अधिक परन्तु 51 से कम सूत्रांक की धागा अन्तर्वस्तु के	3.88 रु० (केवल तीन रुपये अठासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(v)	34 अथवा अधिक परन्तु 40 से कम सूत्रांक की धागा अन्तर्वस्तु के	2.16 रु० (केवल दो रुपये सोलह पैसे) प्रति किलो ग्राम ।
(vi)	29 अथवा अधिक परन्तु 34 से कम सूत्रांक की धागा अन्तर्वस्तु के	1.18 रु० (केवल एक रुपया अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(vii)	22 अथवा अधिक परन्तु 29 से कम सूत्रांक की धागा अन्तर्वस्तु के	0.64 रु० (केवल चौंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(viii)	14 अथवा अधिक परन्तु 22 से कम सूत्रांक की धागा अन्तर्वस्तु के	0.21 रु० (केवल इक्कीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
(ix)	14 सूत्रांक से कम की धागा अन्तर्वस्तु के	0.10 रु० (केवल दस पैसे) प्रति किलोग्राम ।

परन्तु:—

(i) जहां फैब्रिक में विभिन्न सूत्रांक के दो अथवा अधिक धागे हों तथा/अथवा उपर्युक्त विभिन्न सूत्रांक समूहों के अन्तर्गत आते हों तो वहां प्रतिअदायगी, प्रत्येक वर्ग के धागे के भार के आधार पर उक्त सूत्रांक समूहों पर लागू दर पर दी जायगी ।

(ii) धागे का सूत्रांक कोरे बिना कलफ के धागे का आकार होगा जो प्रति आधा किलोग्राम 1000 मीटर की अट्टियों के रूप में व्यक्त किया गया है ।

(iii) निर्माता/निर्यातकर्ता पोतपरिवहन बिल में घोषित करता है कि सूती फैब्रिकों के निर्माण में इस्तेमाल किये गये धागे पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की अदायगी की जा चुकी है ।

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी ।

No. DRAWBACK/PN—22/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971, (Notification No. 52/ F. No. 602/2/70—DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

In sub-serial No. 3804:—

1. Against sub-item (A) *For* "Utensils made wholly of stainless steel sheets" *Read* "Utensils made wholly of non-magnetic stainless steel sheets".

2. Against sub-item (B) the word "non-magnetic" may be inserted after the word 'of' and before the word 'Stainless'

3. Against sub-item (C) the words 'non-magnetic' may be inserted after the word 'of' and before the word "stainless".

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-22/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52 / फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 3804 में—

1. उपमद (क) में "पूर्णतया स्टेनलेस स्टील शीटों से बने बर्तनों" के स्थान पर "पूर्णतया अबुम्बकीय स्टेनलेस स्टील शीटों से बने बर्तन" पढ़िये ।

2. उपमद (ख) में "अबुम्बकीय" शब्द को "स्टेनलेस" शब्द के पहले अन्तःस्थापित किया जाय ।

3. उपमद (ग) में "अबुम्बकीय" शब्द को "स्टेनलैस" शब्द के पहले अन्तःस्थापित किया जाय ।

No. D RAWBACK/PN—23/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70—DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN—1 dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 3809 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-S. No.	Description of goods	Rate of drawback
3809	Tin plate containers of 11·34 kg. capacity containing cashew kernels for which carbon dioxide is used for preservation.	(a) (i) Rs. 950·00 (Rupees nine hundred and fifty only) per tonne of the net weight of empty containers as reduced by 12·5 gms per each container, plus. (ii) Rs. 25·00 (Rupees twenty five only) per 1000 (one thousand) containers, plus' (iii) Rs. 93·00 (Rupees ninety three only) per 1000 (one thousand) containers, plus (b) whole of the duty paid under item 46 of the first schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944.

Provided that:—

(i) the drawback specified in sub-clause (ii) of clause (a) will be granted if the exemption under this Ministry's Notification No. 7/65-CE dated the 30th January, 1965 has not been availed of ;

(ii) the drawback at the rate specified in item (b) will be granted where exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs regarding the amount of duty paid on the Metal Containers, and

Provided further the exporter has not availed of procedure under Rule 12 or Rule 191-A of the Central Excise Rules, 1944 in respect of the said duty.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन-23/75 —सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/सी० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना स० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उप-क्रमांक 3809 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा —

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
1	2	3
3809 11	34 कि० ग्रा० की क्षमता वाले टिन प्लेट के आधान, जो काजू की गिरी से युक्त हो जिनके परिरक्षण के लिए कार्बन-डाइआक्साइड का उपयोग किया जाता है ।	(क) (i) प्रति आधान पर 12 5 ग्राम कम करके खाली आधानों के शुद्ध भार के प्रति टन पर 950 00 रु० (केवल नौ सौ पचास रुपये) तथा (ii) 25 00 रु० (केवल पच्चीस रुपये) प्रति 1,000 (एक हजार) आधान, तथा (iii) 93 00 रुपये (केवल तिरानवे रुपये) प्रति 1,000 (एक हजार) आधान तथा (ख) केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत अदा किया गया सम्पूर्ण शुल्क ।

परन्तु यह तब, जब कि —

(i) खंड (क) के उप-खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रति अदायगी तभी मंजूर की जाएगी यदि इस मंत्रालय की अधिसूचना स० 7/65—के० उ० शु०, दिनांक 30 जनवरी, 1965 के अन्तर्गत छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो ।

(ii) मद (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिअदायगी तभी मंजूर की जाएगी जब कि निर्यातकर्ता धातु आधानों पर अदा किये गये शुल्क की रकम के बारे में ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करे जिससे सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता का समाधान हो जाय ।

तथा यह भी कि निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 अथवा नियम 191—क के अधीन कार्याविधि का लाभ नहीं उठाया हो ।

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी ।

No. DRAWBACK/PN—24/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table Published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 4613 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl.No.	Description of goods	Rate of Drawback
4613	Electric fans—	
	(i) Ceiling fans (complete)—	
	(a) 56" and 60" Sweep.	Rs. 29·00 (Rupees twenty nine only per fan.
	(b) 48" Sweep.	Rs. 24·00 (Rupees twenty four only) per fan.
	(c) 36" and 42" Sweep.	Rs. 20·00 (Rupees twenty only) per fan.
	(ii) Table fans (complete).—	7·5% (Seven point five per cent only) of the export f.e.b. value.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974.

C. BHUJANGASWAMY,
Joint Director (Drawback)

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-24/75.—मालाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70—प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उपक्रमांक 4613 तथा तत्संबन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
4613	बिजली के पंखे	
	(i) छत के पंखे (सम्पूर्ण)	
	(क) 56" तथा 60" फैलाव	29.00 रु० (केवल उनतीस रुपये) प्रति पंखा ।
	(ख) 48" फैलाव	24.00 रु० (केवल चौबीस रुपये) प्रति पंखा ।
	(ग) 36" तथा 42" फैलाव	20.00 रु० (केवल बीस रुपये) प्रति पंखा ।
	(ii) मेज के पंखे (सम्पूर्ण)	पोत-पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत) ।

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी ।

सी० भुजंगस्वामी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिग्रदायगी) ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975